

हुकम

हुकम कार्यवाही मय इन्डिपेंडेंट्स जज
राजस्व आवेदन संख्या 757/2018 अनवान पोत्ताराम बनाम केहराराम

नम्बर व
तारीखअहकाम जो
इस हुकम की
तामील में जारी
हुए

15/01/21

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा खेमावास पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 676 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 890/677 रकबा 08.06 बीघा, खसरा संख्या 888/677 रकबा 08.09 बीघा, खसरा संख्या 894/680 रकबा 03.02 बीघा, खसरा संख्या 896/680 रकबा 07.01 बीघा व खसरा संख्या 898/680 रकबा 09.00 बीघा कुल रकबा 36.02 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा खेमावास पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 676 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 890/677 रकबा 08.06 बीघा, खसरा संख्या 888/677 रकबा 08.09 बीघा, खसरा संख्या 894/680 रकबा 03.02 बीघा, खसरा संख्या 896/680 रकबा 07.01 बीघा व खसरा संख्या 898/680 रकबा 09.00 बीघा कुल रकबा 36.02 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये में निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपस्थित अधिकारी
तहसीलदार बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

दिनांक - 19.01.21

रीडर/2021/133
प्रार्थी

पोलाराम पुत्र पदमाराम
जाति कुम्हार निवासी
खेमावास तहसील शिव
जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 केहराराम 2 रावताराम 3 अणदाराम पिसरान मोतीराम
4 खेताराम पुत्र नानगाराम 5 घमण्डाराम पुत्र प्रभूराम 6
रुघाराम पुत्र मानाराम 7 आसराम पुत्र हेमाराम 8 बाबूराम
पुत्र हरलाल 9 हेमाराम पुत्र कानाराम 10 लाखाराम पुत्र
फूसाराम जाति प्रजापत 11 पूनमाराम पुत्र घमण्डाराम
जाति नाई 12 सगराराम पुत्र अचलाराम जाति जाट
निवासी खेमावास, गालाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने
राजस्व आवेदन संख्या :- 757/2018

दिनांक- 15-01-21

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा खेमावास पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 676 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 890/677 रकबा 08.06 बीघा, खसरा संख्या 888/677 रकबा 08.09 बीघा, खसरा संख्या 894/680 रकबा 03.02 बीघा, खसरा संख्या 896/680 रकबा 07.01 बीघा व खसरा संख्या 898/680 रकबा 09.00 बीघा कुल रकबा 36.02 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमवन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमवन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बावत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमवन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2021/134-137

दिनांक- 19.01.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमवन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. पोलाराम पुत्र पदमाराम जाति कुम्हार निवासी खेमावास तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी केहराराम पुत्र मोतीराम वगैराह जाति प्रजापत निवासी खेमावास, गालाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर